न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी (खैरथल–तिजारा)

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भिवाड़ी)

अपील संख्या	किस्म मुकदमा	प्रवेश दिनांक	निर्णय दिनांक
11 / 14 / 2025	अपील इंतकाल	20.08.2025	01.01.2026

उनवान प्रकरण :–

1. धर्मसिंह उम्र करीब 75 साल पुत्र श्री किशनलाल जाति जटिया निवासी ग्राम पतलिया तहसील हरसौली जिला खैरथल तिजारा राज०

–:अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार, कोटकासिम हाल तहसीलदार, हरसौली पंचायत समिति कोटकासिम तहसील हरसौली जिला खैरथल तिजारा राज०

–:रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 24 किस्म अलोटी गैरखातेदारी दिनांक 5/10/1975 वो नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 12/6/1981 खातेदारी, तहसीलदार (भू–अभिलेख) किशनढबास (अलवर) हाल तहसीलदार (भू–अभिलेख) हरसौली (खैरथल तिजारा) जिसमे द्वारा वक्त दर्ज वारिसान नामान्तरकरण अपीलान्ट का नाम धर्मसिह पुत्र किशनलाल जटिया की बजाय धर्मपाल पुत्र किशन लाल जटिया दर्ज करने की अहम गलती (त्रुटि) करने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 24 वो 129 ग्राम पतलिया नाम धर्मपाल की हद तक अपास्त किया जाकर धर्मपाल के स्थान पर धर्मसिह दर्ज करने हेतु हाल तहसीलदार, हरसौली को बाद मंजूर अपील रिमाण्ड किया जावे एव अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

उपस्थित :

1. **श्री सुभाष दायमा एडवोकेट।** **:– वकील अपीलान्ट**

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि मिन अपीलान्ट वो पिता अपीलान्ट को आराजी खसरा संख्या 157 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 1672 रकबा 15 बिस्वा, 1673 रकबा 18 बिस्वा किता 03 रकबा 5 बीघा 06 बिस्वा ग्राम पतलिया अलोट होने पर नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 1/10/75 को दर्ज होकर दिनांक 5/10/1975 को गैरखातेदारी का मजूर हुवा तथा इंतकाल संख्या 129 दिनाक 12/6/1981 खातेदारी का दर्ज वो मंजूर हुवा। बाद दर्ज

व मंजूर नामान्तरकरण सम्वत 2033 भी जमाबंदी में अंकन किया गया। हल्का पटवारी की गलती से वक्त दर्ज करने नामान्तकरण मिन अपीलान्ट जिसका नाम धर्मसिह है वो पिता का नाम किशनलाल है, धर्मसिह के बजाय धर्मपाल लिखने की गलती वो त्रुटि की। उक्त गलती वो त्रुटि के कारण मुर्तिब जमाबंदी सम्वत 2033 से हाल तक धर्मसिह के स्थान पर धर्मपाल दर्ज हुवा। मिन अपीलान्ट का नाम धर्मसिह है तथा समस्त दस्तावेजात मे नाम धर्मसिह पुत्र किशनलाल दर्ज है। मिन अपीलान्ट तहसीलदार भू अभिलेख हाल तहसील हरसौली वो हल्का पटवारी पतलिया से जब उपरोक्त वर्णित आराजी का राजस्व रिकोर्ड की नकुलात लेने गया तो सर्वप्रथम दिनांक 9/6/2025 को नामान्तरकरण संख्या 24 वो 129 गैरखातेदारी वो खातेदारी मे नाम का अंकन मूलवंश, सहवन, गलती वो लिपिकीय त्रुटि के कारण धर्मसिह के बजाय धर्मपाल लिखा जाना मालूम हुवा। चूँकि मिन अपीलान्ट को जन्म से ही आज तक धर्मसिह नाम से जाना वो पहचाना जाता है तथा समस्त पहचान सम्बंधी दस्तावेजात राशनकार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड इत्यादि मे धर्मसिह नाम दर्ज है। मिन अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट तहसीलदार भू अभिलेख हरसौली वो हल्का पटवारी से दुरूस्त करने को कहा तो उनके द्वारा यह कहते हुवे कि नामान्तरकरण में गलत दर्ज है, लिहाजा दर्जशुदा नामान्तरकरण की अपील कर नामान्तरकरण मे नाम की त्रुटि को दुरूस्त कराये जाने के लिये सक्षम न्यायालय में अपील दायर कराई जावे। उक्त स्टेज पर नाम की त्रुटि को हम दुरूस्त नही कर सकते और दिनांक 09/6/25 को नाम की त्रुटि को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया जिससे अपील हाजा दायर करनी लाजिम आई है। मिन अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हू और अनपढ हू। राजस्व रिकोर्ड वो कानून की जानकारी नही रखता हू। जैसे ही मिन अपीलान्ट को दिनांक 9/6/25 को नामान्तरकरण गैरखातेदारी से खातेदारी मे गलत नाम अंकित होना जानकारी में आया वैसे ही नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की और दुरूस्ती का प्रयास किया और दिनांक 9/6/25 को इंकार किये जाने के कारण नकुलात प्राप्त की जिससे अपील हाजा साधारणतया अन्दर अवधि प्रस्तुत है। यघपि दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलहेदा से कण्डोन किये जाने मियाद मंजूरी नामान्तरकरण गैरखातेदारी वो खातेदारी की दिनांक से वो सर्वप्रथम जानकारी होने वो अपील दायर करने की दिनांक तक का समय कन्डोन किये जाने के लिये प्रस्तुत है। लिहाजा सर्वप्रथम जानकारी से अपील हाजा को साधारणतया अन्दर अवधि तसव्वुर किया जावे। ग्राम पतलिया तहसील हरसौली का नामान्तरकरण संख्या 24 वो 129 है जिसकी तत्कालीन तहसील किशनगढ़बास वो हाल तहसील हरसौली है जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से अपील हाजा न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 24 वो 129 गैरखातेदारी वो खातेदारी ग्राम पतलिया में हुई नाम की लुटि की हद तक अपास्त किया जाकर नामान्तरकरण मे पुनः विधिवत अपीलान्ट का सही नाम धर्मसिह दर्ज किये जाने के आदेश वो निर्देश देते हुये तहसीलदार साहब, हरसौली को रिमाण्ड किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस के रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही हुए जिनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई

गई। तहत न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या0 129 दिनांक 12.06.1981 वाके ग्राम पतलिया तहसील हरसौली की प्रमाणित प्रति प्रेषित की गई जो संलग्न पत्रावली कि गई।

अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य दस्तावेजी में नियम 33 के तहत नामान्तकरण संख्या 24 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श –1, नामान्तकरण संख्या 129 प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत 2033 प्रदर्श–3, असल प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत प्रदर्श–4, प्रतिलिपि पेन कार्ड धर्मवीर प्रदर्श–5, फोटो प्रति आधारकार्ड धर्मवीर प्रदर्श–6, फोटोप्रति परिवार राशनकार्ड प्रदर्श –7 संलग्न कराई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस पेश कर दोहराते हुए निवेदन किया की यह है कि यह हैं कि मिन अपीलान्ट वो पिता अपीलान्ट को आराजी खसरा संख्या 457 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 1672 रकबा 15 बिस्वा, 1673 रकबा 15 बिस्वा, 1673 रकबा 16 बिस्वा किता 03 रकबा 5 बीघा 06 बिस्वा ग्राम पतलिया अलोटे होने पर नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 01/10/1975 को दर्ज होकर दिनांक 05/10/1975 को गैरखातेदारी का मंजूर हुआ तथा इंतकाल संख्या 129 दिनांक 12/06/1981 खातेदारी का दर्ज वो मंजूर हुआ। बाद दर्ज वो मंजूर नामान्तरण संम्वत 2033 भी जमाबन्दी में अंकन किया गया। हल्का पटवारी की गलती से वक्त दर्ज करने नामान्तरण मिन अपीलान्ट जिसका नाम धर्मसिहं है वो पिता का नाम किशनलाल है, धर्मसिहं के बजाय धर्मपाल लिखने की गलती वो त्रुटि की। उक्त गलती वो त्रुटि के कारण मुर्तिब जमाबन्दी सम्बव 2033 से हाल तक धर्मसिहं के स्थान पर धर्मपाल दर्ज हुआ। मिन अपीलान्ट का नाम धर्मसिहं हैं तथा समस्त दस्तावेजात में नाम धर्मसिहं पुत्र किशनलाल दर्ज है। यह हैं कि मिन अपीलान्ट तहसीलदार भू अभिलेख हाल तहसील हरसौली वो हल्का पटवारी पतलिया से जब उपरोक्त वर्णित आराजी का राजस्व रिकॉर्ड की नकुलात लेने गया तो सर्वप्रथम दिनांक 09/06/2025 को नामान्तकरण संख्या 24 वो 129 गैरखातेदारी वो खातेदारी में नाम का अंकन भूलवश, सहवन गलती वो लिपिकीय त्रुटि के कारण धर्मसिहं के बजाय धर्मपाल लिखा जाना मालूम हुआ। चूंकि मिन अपीलान्ट को जन्म से ही आज तक धर्मसिहं नाम से जाना वो पहचाना जाता हैं तथा समस्त पहचान संबधी दस्तावेजात, राशनकार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में धर्मसिहं नाम दर्ज हैं। अतः अपीलान्ट का नाम धर्मसिह पुत्र किशनलाल जटिया की बजाय धर्मपाल पुत्र किशन लाल जटिया दर्ज करने की अहम गलती (त्रुटि) करने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 24 वो 129 ग्राम पतलिया नाम धर्मपाल की हद तक अपास्त किया जाकर धर्मपाल के स्थान पर धर्मसिह दर्ज करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया।

हमने संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम मियाद अधिनियम दफा 5 पर विवेचन करना उचित समझते है। मियाद के बिन्दु पर अपीलान्ट द्वारा आदेश दिनांक से अपील दायर करने तक विलम्ब का कारण दर्शित किया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नर्मी का रूख अपनाते हुए आदेश दिनांक से अपील दिनांक तक की अवधी को कन्डोन किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहा तक प्रश्न अपील के गुणावगुण का है मैने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजी का अवलोकन किया। जिससे जाहिर है कि आधार कार्ड में अपीलान्ट का नाम धर्मसिंह पुत्र किशनलाल, पारिवारिक राशन कार्ड, पैन

कार्ड में भी अपीलान्ट का नाम धर्मसिंह पुत्र किशनलाल दर्ज है तथा तहसीलदार हरसौली के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया है कि पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार धर्मसिंह पुत्र किशनलाल जटिया निवासी पतलिया व धर्मपाल पुत्र किशनलाल जटिया एक ही व्यक्ति है। तहत न्यायालय द्वारा बिना शपथ पत्र लिए तथा बिना साक्ष्य के आधार पर नामान्तकरण संख्या 24 किस्म अलौटी गैरखातेदारी एवं नामान्तकरण संख्या 129 खातेदारी अपीलान्ट का नाम धर्मपाल पुत्र किशनलाल जटिया दर्ज करते हुए नामान्तकरण स्वीकार किया। तहत न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 24 किस्म अलौटी गैरखातेदारी एवं नामान्तकरण संख्या 129 खातेदारी वाके ग्राम पतलिया तहसील हरसौली धर्मपाल पुत्र किशनलाल जटिया की जद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार हरसौली के पास इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत नामान्तकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01/01/2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भिवाडी,खैरथल–तिजारा।